भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3310
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

कंपनी अधिनियम में संशोधन

3310. श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए संशोधनों के अनुसार ही नियम बनाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार को उक्त संशोधनों और नियमों में कुछ असंगतियों की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं; और
(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी संगठन-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग) : सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के उन प्रावधानों से संबंधित नियम अधिसूचित किए हैं जो लागू हो चुके हैं। सरकार को लागू हो चुके कुछ नियमों और प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने, संदेह व्यक्त करने और कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाने वाले पत्र प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय में जांच करने के अलावा इन पहलुओं पर इस वर्ष 21 जून को नई दिल्ली में आयोजित एक संपर्क सत्र में भी विचार-विमर्श किया गया। इन पत्रों और विचार-विमर्श के आधार पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण देने वाले कई परिपत्र, नियमों और सांविधिक आदेशों में संशोधन जारी किए गए हैं। कतिपय श्रेणी की कंपनियों को अधिनियम के कतिपय प्रावधानों से छूट देने वाली प्रारूप अधिसूचनाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत अधिसूचित करने से पहले संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई हैं।

*****